



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-25092025-266416
CG-MH-E-25092025-266416

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4125]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 22, 2025/भाद्र 31, 1947

No. 4125]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 22, 2025/BHADRA 31, 1947

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 10 सितम्बर, 2025

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 7A के तहत

का.आ. 4243(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है।) की धारा 2 के खंड (7क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (5) में उल्लिखित तालुका, जिला रायगढ़ के संबंध में, महाराष्ट्र राज्य में मध्य रेल के अंतर्गत “मुंबई मंडल के कल्याण-लोनावला खंड के बीच रेलवे कि.मी. 81/350 पर स्थित लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या 19, रेलवे कि.मी. 84/2-3 पर स्थित लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या 20, रेलवे कि.मी. 86/11-12 पर स्थित लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या 21 रेलवे कि.मी., 89/831 पर स्थित लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या 22, रेलवे कि.मी. 92/5-6 पर स्थित लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या 23, रेलवे कि.मी. 94/28-29 पर स्थित लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या 25, रेलवे कि.मी. 96/20-21 पर स्थित लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या 26 और रेलवे कि.मी. 97/23-24 पर स्थित लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या 27 के बदले आरओबी का प्रस्तावित निर्माण” को विशेष रेल परियोजना की बाबत ऐसे विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्रम संख्या	सक्षम प्राधिकारी	लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या	गाँव	तालुका
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	उप जिल्हाधिकारी (भूसम्पादन), रायगढ (ओ) अलीबाग	19	शेलु	कर्जत
(2)		20	दामात	कर्जत
(3)		21	नेरल	कर्जत
(4)		22	अंबिवली बुद्रुक	कर्जत
(5)		23	भंसोली, चिन्हवल्ली	कर्जत
(6)		25	आशाने, वेव	कर्जत
(7)		26	सावरगांव, वंजाले	कर्जत
(8)		27	देउलवाडी	कर्जत

[फा. सं. G197/RUB&RUB (13 Nos.)/BB Div/7A/RSP/Corrigendum]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 10th September, 2025

Under clause 7A of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 4243(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to the Railway (Amendment) Act 2008 (No.11 of 2008), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Table below as the Competent Authority to perform the functions of such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette in respect of the Special Railway Project of “**Proposed construction of ROBs in lieu of Level Crossing Gates no. 19 at Railway Km. 81/350, Level Crossing Gates no. 20 at Railway Km. 84/2-3, Level Crossing Gates no. 21 at Railway Km. 86/11-12, Level Crossing Gates no. 22 at Railway Km. 89/831, Level Crossing Gates no. 23 at Railway Km. 92/5-6, Level Crossing Gates No. 25 at Railway Km. 94/28-29, Level Crossing Gates No. 26 at Railway Km. 96/20-21 and Level Crossing Gates No. 27 at Railway Km. 97/13-14 between Kalyan-Lonavala section of Mumbai Division**” in the State of Maharashtra, District- Raigad relating to Taluka mentioned in column (5) of the said table for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Projects.

SCHEDULE

Sr. No	Competent Authority	Level Crossing Gate No.	Village	Taluka
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	Deputy Collector (Land	19	Shelu	Karjat
(2)		20	Damat	Karjat

(3)	Acquisition), Raigad (O)Alibag	21	Neral	Karjat
(4)		22	Ambivali Budruk	Karjat
(5)		23	Bhanasoli, Chinchavali	Karjat
(6)		25	Ashane, Vave	Karjat
(7)		26	Savargaon, Vanjale	Karjat
(8)		27	Deulwadi	Karjat

[F. No. G197/RUB&RUB (13 Nos.)/BB Div/7A/RSP/Corrigendum]

AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Construction)